कीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ–36, अंक – 7 | अप्रैल 1–15, 2022 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ–8

शहीदों का पैगाम :

हिन्दोस्तानी समाज के क्रांतिकारी परिवर्तन के संघर्ष को जीत की ओर बढ़ायें!

23 मार्च, 1931 को बर्तानवी उपनिवेशवादी शासकों ने हमारे देश के महान क्रांतिकारियों और देशभक्तों – भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया था। उपनिवेशवादियों को उम्मीद थी कि इन क्रांतिकारियों की हत्या करके, वे उन विचारों को कुचल देंगे जो हमारे देश के मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों को उपनिवेशवादी शासन को उखाड़ फेंकने और हिन्दोस्तानी समाज में गहरे क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। लेकिन उपनिवेशवादी इस उद्देश्य में क़ामयाब नहीं हुये। हिन्दोस्तान के मज़दूर और किसान उस तरह के क्रांतिकारी बदलाव के लिए तरस रहे हैं। उपनिवेशवाद–विरोधी संघर्ष के दौरान अनगिनत देशभक्तों और शहीदों को प्रेरित करने वाला विचार आज भी हमारे देश के मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों को प्रेरित करता है।

शहीद भगत सिंह और उनके साथी ऐसे समय में रह रहे थे और काम कर रहे थे, जब हिन्दोस्तान के लोग उपनिवेशवादी शासकों के ख़िलाफ़ शक्तिशाली संघर्ष के लिये उठ रहे थे। हमारे समाज में हिन्दोस्तान के भविष्य को लेकर दो दृष्टिकोणों में टक्कर थी। एक दृष्टिकोण था मज़दूर वर्ग, मेहनतकश किसानों और क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों का। दूसरी दृष्टिकोण था बड़े पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों का।

शहीद भगत सिंह और उनके साथी ऐसे समय में रह रहे थे और काम कर रहे थे, जब हिन्दोस्तान के लोग उपनिवेशवादी शासकों के ख़िलाफ़ शक्तिशाली संघर्ष के लिये उठ रहे थे। हमारे समाज में हिन्दोस्तान के भविष्य को लेकर दो दृष्टिकोणों में टक्कर थी। एक दृष्टिकोण था मज़दूर वर्ग, मेहनतकश किसानों और क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों का। दूसरी दृष्टिकोण था बड़े पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों का।

1857 के महान ग़दर से प्रेरित होकर, हिंदुस्तान ग़दर पार्टी के शब्दों और वीरतापूर्ण कार्यों तथा रूस में हुई महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति की जीत से प्रेरित होकर, हमारे देश के क्रांतिकारी मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों को हिन्दोस्तानी समाज के संपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए संगठित कर रहे थे। उन्होंने इस सच्चाई में विश्वास किया और इस सच्चाई का प्रचार भी किया कि हमारे देश के मज़दूर, किसान, महिलाएं और नौजवान तब तक वास्तविक आज़ादी नहीं प्राप्त कर सकेंगे, जब तक कि राज्य और उपनिवेशवादियों द्वारा हिन्दोस्तानी लोगों पर राज करने के लिए स्थापित किये गये संस्थान बरकरार रहेंगे। उन्होंने उपनिवेशवादी राज्य को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने और एक नए राज्य का निर्माण करने के संघर्ष को रणनीतिक उद्देश्य के रूप में परिभाषित किया, एक आधुनिक लोकतांत्रिक हिन्दोस्तान जो इंसान द्वारा इंसान के किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्त होगा और राष्ट्रों को सभी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त रखेगा।

बर्तानवी उपनिवेशवादियों ने समझौता न करने वाले सभी देशभक्तों पर क्रूर दमन किया। उन्होंने अपने हिन्दोस्तानी सहयोगियों को भूमि और औद्योगिक लाइसेंस देकर पुरस्कृत किया, जिससे पूंजीवादी और जमींदार वर्गों के विकास को बढ़ावा मिला। हमारे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन उपनिवेशवादी शासन के ख़िलाफ़ क्रांतिकारी विद्रोह को रोकने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ किया गया था। इस पार्टी का गठन, हिन्दोस्तानी पूंजीपतियों और जमींदारों के सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली वर्गों को अपने भीतर समायोजित करके, उपनिवेशवादी शासन को मजबूत करने की परियोजना का हिस्सा था।

पूंजीवादी औद्योगिक घरानों और बड़े जमींदारों ने बहुसंख्य मेहनतकश लोगों को सत्ता से बाहर रखते हुए, अपने हाथों में सत्ता हासिल करने की इच्छा

शेष पृष्ठ 4 पर

28–29 मार्च को दो–दिवसीय सर्व–हिन्द हड़ताल :

सरमायदारों के चौ–तरफे हमलों के ख़िलाफ़ देशभर के मज़दूर–किसान सड़कों पर उतरे

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और अलग–अलग क्षेत्रों की फेडरेशनों तथा संगठनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर, 28–29 मार्च को दो–दिवसीय सर्व–हिन्द हड़ताल के दौरान, बड़े–बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में, बढ़ते शोषण–दमन के ख़िलाफ़ मज़दूरों और किसानों का आक्रोश सड़कों पर उभर कर आया।

बैंकिंग, बीमा, बिजली, बंदरगाह, टेलिकॉम, रक्षा, खनन, रेलवे, परिवहन, तेल–गैस रिफाइनरी – हर क्षेत्र के मज़दूर निजीकरण, छंटनी और अपने बढ़ते शोषण–दमन के ख़िलाफ़ एकजुट होकर आगे आये। शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, आंगनवाड़ी, मध्याह्न–भोजन और आशा कर्मी – सभी ने हड़ताल में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। ग्रामीण इलाकों में किसानों और खेत मज़दूरों, बागान मज़दूरों, मनरेगा मज़दूरों तथा अन्य श्रमिकों ने भी विरोध प्रदर्शन किये।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त बयान के अनुसार, देशभर में लगभग बीस करोड़

नई दिल्ली

मज़दूरों ने इस दो दिवसीय हड़ताल में हिस्सा लिया। इसके बावजूद कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मज़दूरों को हड़ताल में हिस्सा लेने से रोकने के लिए उन पर तरह–तरह के हमले किये। मज़दूरों पर एस्मा लगाया गया, पुलिस ने कई जगहों पर हड़ताली मज़दूरों पर हमले किये, केरल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर हड़ताल में भाग लेने से रोक लगा दी, इत्यादि।

राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अन्य राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों में, जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जैसे पर्वतीय इलाकों में, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और मध्य प्रदेश के कोयला खदानों में – सब जगहों पर मज़दूरों के विरोध की आवाज़ गूँज उठी।

शेष पृष्ठ 3 पर

अंदर पढ़ें

- समाज–विरोधी हमले को हराएं 2
- लोगों के ज़मीर के अधिकार और उनकी एकता पर हमला 4
- शहीदी दिवस के अवसर पर जन सभायें और विचार गोष्ठियां 5
- बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों व इंजीनियरों का सम्मेलन 6
- आंगनवाड़ी मज़दूरों को बर्खास्त किया 6
- राजस्थान के नोहर में किसानों ने संघर्ष में जीत हासिल की 7
- कनाडा के रेल मज़दूरों का संघर्ष 7

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और सर्व-हिन्द फेडरेशनों ने आम हड़ताल का आह्वान किया :

सरमायदारों के समाज-विरोधी हमले को हराने का संघर्ष तेज़ करें!

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और अलग-अलग क्षेत्रों की फेडरेशनों और संगठनों के संयुक्त मंच ने 28–29 मार्च, 2022 को दो–दिवसीय सर्व–हिन्द आम हड़ताल का आह्वान किया है। जिसका मुख्य नारा है – "लोगों को बचाओ, राष्ट्र बचाओ"।

ट्रेड यूनियनें मांग कर रही हैं कि चार श्रम संहिताओं और आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम (ई.डी.एस.ए.) को रद्द किया जाये। वे मांग कर रही हैं कि निजीकरण के कार्यक्रम को रोका जाये जिसमें राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन शामिल है, सभी मज़दूरों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा तथा ठेका मज़दूरों को नियमित किया जाये। यूनियनें कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने तथा क़ीमतों को नियंत्रित करने के लिए पेट्राल और डीज़ल पर करों में कमी की मांग कर रही हैं। उन्होंने कई अन्य मांगें भी उठाई हैं। उन्होंने सभी फ़सलों के लिए एम.एस.पी. सुनिश्चित करने की किसान आंदोलन की मांगों का समर्थन भी किया है।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी ट्रेड यूनियनों की जायज़ मांगों का पूरा समर्थन करती है। ये सभी मांगें जनता और पूरे देश के हित में हैं। यह हड़ताल सत्ताधारी सरमायदारों द्वारा मज़दूरों, किसानों और मेहनतकश जनता के व्यापक जनसमुदाय की आजीविका और अधिकारों पर किये जा रहे भयानक और सब–तरफ़ा समाज–विरोधी हमलों के ख़िलाफ़ है।

मज़दूरों और किसानों के सभी संगठनों तथा ट्रेड यूनियनों के सामने यह सवाल है कि इन मांगों को कैसे जीता जाए। यह जानना महत्वपूर्ण है कि लोगों की आजीविका और उनके अधिकारों पर हो रहे हमलों के लिए कौन और क्या ज़िम्मेदार है, अर्थव्यवस्था की वर्तमान दिशा जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है, इसके लिए कौन और क्या ज़िम्मेदार है। यही समझने के बाद इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि "लोगों को बचाओ, राष्ट्र बचाओ" के लिए मज़दूरों को क्या करना होगा।

हमारे देश में मौजूद पूंजीवादी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था ही मज़दूरों और किसानों की सभी समस्याओं का स्रोत है। उत्पादन के प्रमुख साधन सरमायदारों के हाथों में हैं। लगभग 150 इजारेदार पूंजीपतियों के नेतृत्व में सर्वोच्च शक्ति सरमायदारों के पास है और वे समाज के लिए एजेंडा तय करते हैं। वे अर्थव्यवस्था की दिशा निर्धारित करते हैं। उदारीकरण और निजीकरण के ज़रिए वैश्वीकरण का कार्यक्रम, जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहा है, सरमायदारों का कार्यक्रम है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे देश के इजारेदार पूंजीपति मज़दूरों के शोषण को और बढ़ाकर, किसानों की लूट को तेज़ करके और हमारे लोगों के सभी प्राकृतिक संसाधनों की लूटकर, सबसे तेज़ गति से खुद को समृद्ध करें।

हिन्दोस्तानी राज्य सरमायदारों के हाथों में एक साधन है, जिसके ज़रिये सरमायदार एक तरफ अपनी संपत्ति का विस्तार करता रहता है और दूसरी तरफ मज़दूरों और किसानों के प्रतिरोध के संघर्षों को कुचलता है। हिन्दोस्तानी राज्य के सभी अंग – केंद्र और राज्य सरकारें, संसद और राज्य विधानसभाएं, सरमायदारों की राजनीतिक पार्टियां, न्यायपालिका, पुलिस और सशस्त्र बल, सरमायदारों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये काम करते हैं। आज़ादी के बाद से 74 वर्षों की पूरी अवधि दौरान,

हमारे देश में एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा किया गया है कि सत्ताधारी पार्टी जो चाहेगी वह कर सकती है। वह नीतियों को सरमायदारों के हित में लागू कर सकती है, या वह चाहेगी तो नीतियों को मज़दूर वर्ग के हित में भी लागू कर सकती है। भले ही पिछले 74 वर्षों से एक के बाद एक हरेक सरकार ने सरमायदारों के एजेंडे को ही लागू किया है, इस भ्रम को अब भी जीवित रखा गया है, कि अगर एक "नई पार्टी" को सरकार में लाया जाये, तो मज़दूर वर्ग और मेहनतकशों के हितों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

सरमायदार खुद को समृद्ध करता रहा है, जबकि अधिकांश मज़दूर और किसान असुरक्षा का जीवन जीने को मजबूर हैं।

हमारे देश में एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा किया गया है कि सत्ताधारी पार्टी जो चाहेगी वह कर सकती है। वह नीतियों को सरमायदारों के हित में लागू कर सकती है, या वह चाहेगी तो नीतियों को मज़दूर वर्ग के हित में भी लागू कर सकती है। भले ही पिछले 74 वर्षों से एक के बाद एक हरेक सरकार ने सरमायदारों के एजेंडे को ही लागू किया है, इस भ्रम को अब भी जीवित रखा गया है, कि अगर एक "नई पार्टी" को सरकार में लाया जाये, तो मज़दूर वर्ग और मेहनतकशों के हितों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

सच तो यह है कि मज़दूर वर्ग और सरमायदारों के हित परस्पर विरोधी हैं। राज्य या राजनीतिक सत्ता के लिए सरमायदारों

सच तो यह है कि मज़दूर वर्ग और सरमायदारों के हित परस्पर विरोधी हैं। राज्य या राजनीतिक सत्ता के लिए सरमायदारों और मज़दूर वर्ग दोनों का प्रतिनिधित्व करना संभव नहीं है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता हो। वर्तमान हिन्दोस्तानी राज्य सरमायदारों का राज्य है जो मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनसमुदाय पर सरमायदारों के राज की हमेशा रक्षा करता है।

और मज़दूर वर्ग दोनों का प्रतिनिधित्व करना संभव नहीं है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता हो। वर्तमान हिन्दोस्तानी राज्य सरमायदारों का राज्य है जो मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनसमुदाय पर सरमायदारों के राज की हमेशा रक्षा करता है।

इस पूंजीवादी व्यवस्था में चुनाव, सरमायदारों का एक साधन है जिसके ज़रिये वह मज़दूर वर्ग और मेहनतकश किसानों पर अपने शासन को वैध बनाता है। सरमायदार अपने मज़दूर–विरोधी और किसान–विरोधी कार्यक्रम को लागू करते हुए, यह तय करता है कि कौन सी पार्टी लोगों को बेवकूफ़ बनाने में सबसे ज्यादा सक्षम होगी। पिछले 74 वर्षों के चुनावों ने इसकी पुष्टि की है और पुनः पुष्टि की है।

आम हड़ताल के अपने आह्वान में ट्रेड यूनियनों ने घोषणा की है कि हमें मांग करनी होगी कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 में होने वाले लोक सभा के चुनावों में देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने राजनीतिक घोषणापत्र में "काम के अधिकार, जीवन जीने लायक आय, सभी नागरिकों के लिये मुफ्त और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तथा सभी वैध संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा को शामिल करना होगा तथा सत्ता में आने पर उन्हें पूरा करने और मज़दूरों, किसानों व देश के सभी लोगों की मांगों का समर्थन करने की सार्वजनिक रूप से शपथ लेनी होगी।"

ट्रेड यूनियनों का कहना है कि यदि राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणापत्र में मज़दूरों और किसानों की मांगों को शामिल करती हैं, और अगर वे चुनाव जीतने पर इन वादों को पूरा करने का संकल्प लेती हैं, तो मज़दूरों को कहा जायेगा कि वे ऐसी पार्टियों को वोट दें। यह मज़दूरों को उनके हितों के विपरीत, एक ग़लत रास्ते पर ले जायेगा।

सरमायदारी राजनीतिक पार्टियों के चुनावी घोषणापत्र पहले से ही समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आकर्षक वादों से भरे हुए हैं। अपने चुनावी घोषणा पत्र में ट्रेड यूनियनों की इस या उस मांग को शामिल करने से यह सच्चाई नहीं बदलेगी कि चुनाव ख़त्म होने के बाद, जो भी पार्टी सरकार बनायेगी, वह सरमायदारों के एजेंडे को ही लागू करेगी। सरकार मज़दूरों और किसानों के प्रति जवाबदेह नहीं होगी। निर्णय लेने में मज़दूरों और किसानों की कोई भूमिका नहीं होगी।

हाल ही में संपन्न हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव एक बार फिर स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कौन–सी पार्टी सरकार बनाएगी, यह तय करने में मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनता की कोई भूमिका नहीं है। इसे सरमायदारों ने तय किया है। मज़दूर वर्ग के नेताओं का काम है इस परिस्थिति में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना। उन्हें इस या उस पार्टी के बारे में या बहुपार्टी प्रतिनिधित्ववादी लोकतंत्र की व्यवस्था के बारे में भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए जिसके ज़रिए सरमायदार मज़दूरों और किसानों पर राज करते हैं।

कई वर्षों से केंद्रीय ट्रेड यूनियनें मज़दूर वर्ग की मांगों के लिए नियमित रूप से हर वर्ष एक या दो दिवसीय सर्व–हिन्द आम हड़तालों का आयोजन करती आ रही हैं। सच तो यह है कि किसी भी सरकार ने मज़दूर वर्ग की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया है। ऐसा तब हुआ है, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार सत्ता में थी, और अब भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार सत्ता में है।

उदारीकरण और निजीकरण के ज़रिए वैश्वीकरण का कार्यक्रम सरमायदारों का कार्यक्रम है जो सबसे तेज़ गति से खुद को समृद्ध करता है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो केवल एक या दो पार्टियों का कार्यक्रम नहीं है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे सरमायदारों की हर पार्टी को अनिवार्य रूप से लागू करना होता है।

मज़दूर वर्ग का उद्देश्य यह नहीं हो सकता कि वह सरमायदारों की एक पार्टी को दूसरी पार्टी से बदलता रहे। मज़दूर वर्ग का उद्देश्य है सरमायदारों के राज की जगह पर, मेहनतकश किसानों के साथ गठबंधन बनाकर मज़दूर वर्ग का राज लाना।

सरमायदारों के हमले को हराने के लिए, मज़दूर वर्ग को खुद को एक राजनीतिक ताक़त के रूप में संगठित करने की ज़रूरत है जो सरमायदारों की राजनीतिक सत्ता को चुनौती देगी। सरमायदारों के राज की जगह पर मज़दूरों–किसानों का राज स्थापित करने के उद्देश्य के इर्द–गिर्द मज़दूरों और किसानों का संयुक्त मोर्चा बनाने की ज़रूरत है। अन्यथा, मज़दूरों की आकांक्षाएं, जैसा कि ट्रेड यूनियनों की मांगों के चार्टर में व्यक्त किया गया है, मात्र एक नीतिगत उद्देश्य बनकर रह जायेगी, एक दूर का सपना जो कभी पूरा नहीं होगा। मज़दूरों को ऐसा नहीं होने देना चाहिए।

हमारी तात्कालिक मांगों के लिए संघर्ष करते हुए, मज़दूरों और किसानों के सभी संगठनों को अपने एजेंडे में एक वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था और प्रक्रिया के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता को रखना चाहिए जिसमें मज़दूर और किसान निर्णय लेने की ताक़त रखेंगे। अपने हाथों में सत्ता हासिल करने के साथ ही, हम विशाल जनता की निरंतर बढ़ती भौतिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था को नयी दिशा देने में सक्षम होंगे।

आइए, हम पूंजीपति वर्ग के समाज–विरोधी हमले को हराने के लिए एकजुट संघर्ष को तेज़ करें। आइए, सरमायदारों के राज को बदलकर मज़दूरों और किसानों का राज स्थापित करने के उद्देश्य से संघर्ष करें। यही समय की पुकार है।

http://hindi.cgpi.org/21913

एक निवेदन

पाठकों से निवेदन है कि मज़दूर, किसान, महिला, नौजवान तथा समाज के हर मेहनतकश श्रेणी की जिंदगी और संघर्ष के बारे में लेख लिखकर भेजें। इससे देश के नव-निर्माण के लिये मज़दूर-मेहनतकश की राजनीतिक एकता तथा संघर्ष मजबूत होगा।

दो-दिवसीय सर्व-हिन्द हड़ताल : सरमायदारों के चौ-तरफ़े हमलों के ख़िलाफ़ देशभर के मज़दूर-किसान सड़कों पर उतरे

पृष्ठ 1 का शेष

बैनरों और प्लाकार्डों पर अपनी मांगों को रोशन करके, ज़ोरदार नारे बुलंद करके, मज़दूरों ने अपनी एकता को मज़बूत करने और संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प प्रदर्शित किया।

मज़दूरों ने सार्वजनिक संसाधनों के निजीकरण, श्रम कानूनों को हटाकर लाये गए चार लेबर कोड, बढ़ती बेरोज़गारी, ठेकेदारी के विस्तार, नयी पेंशन योजना, बढ़ती महंगाई और घटती आमदनी के विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद की। न्यूनतम वेतन की गारंटी और सामाजिक सुरक्षा की मांग की गयी। आंगनवाड़ी, मध्याह्न–भोजन और आशा कर्मियों ने मज़दूर बतौर मान्यता, न्यूनतम वेतन, रोज़गार की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की मांग की। किसानों ने सभी फ़सलों के लिए सुनिश्चित एम.एस.पी. की मांग उठाई।

29 मार्च, 2022 को नई दिल्ली के जंतर–मंतर पर, संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसमें मुख्य भागीदार थे – एटक, सीटू, हिन्द मज़दूर सभा, ए.आई.सी.सी.टी.यू., ए.आई.यू.टी.यू.सी., टी.यू.सी.सी., सेवा, मज़दूर एकता कमेटी, यू.टी.यू.सी., एल.पी.एफ. और आई.सी.टी.यू. संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया। सभी भागीदार संगठनों के प्रतिनिधियों ने रैली को संबोधित किया।

इस प्रदर्शन में भारी संख्या में बैंककर्मी, बीमाकर्मी, विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले श्रमिक, दिल्ली नगर निगम के मज़दूर, एन.सी.आर. के अनेक औद्योगिक क्षेत्रों के मज़दूर, दिल्ली जल बोर्ड के मज़दूर, आंगनवाड़ी, आशाकर्मी, मिड–डे–मील मज़दूर, घरेलू कामगार आदि शामिल हुए। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के छात्र और अध्यापक भी शामिल हुए।

सभी क्षेत्रों के मज़दूरों के आक्रोश के इस विशाल प्रदर्शन से यह साफ़–साफ़ दिखता है कि देशभर में मज़दूर, किसान, महिलाएं और नौजवान वर्तमान व्यवस्था से पूरी तरह असंतुष्ट हैं और एक ऐसे विकल्प के लिए संघर्ष में एकजुट हो रहे हैं, जिसमें हम मेहनतकश देश के मालिक होंगे और सबके अधिकार और खुशहाली सुरक्षित होंगी।

http://hindi.cgpi.org/21965

देश भर में जगह-जगह हड़ताल और प्रदर्शन

चेन्नई

गांधीनगर

मदुरई

चरखी दादरी

उदयपुर

जम्मू

मेघालय

कोलकाता

हिजाब पहनने पर पाबंदी :

लोगों के ज़मीर के अधिकार और उनकी एकता पर हमला

स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों को दुपट्टे से सिर ढकने या हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, यह विवाद अब एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस मुद्दे को लेकर लोगों में गुस्सा काफी बढ़ गया है और इसके ज़रिये लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिशें की जा रही हैं।

कर्नाटक के तटीय इलाके के एक सरकारी कॉलेज के अधिकारियों द्वारा हिजाब पहनने वाली छात्राओं को कक्षाओं में आने से रोकने के आदेश के बाद से हिजाब का मुद्दा मीडिया में प्रमुखता से दिखाया जाने लगा। कॉलेज की छात्राओं ने जनवरी 2022 से इस आदेश के ख़िलाफ़ धरना शुरू कर दिया था। इसके बाद कर्नाटक के कई शहरों में हिजाब पहनने वाली छात्राओं के उत्पीड़न की कई घटनाएं हुईं, साथ ही साथ राज्य की विभिन्न एजेंसियों और सोशल मीडिया के ज़रिये मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ दुष्ट सांप्रदायिक और विभाजनकारी प्रचार किया जाने लगा।

5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध को "समानता, समग्रता और सार्वजनिक व्यवस्था" बनाए रखने के नाम पर लगाया गया था। कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगने के लिये, छात्राओं ने कर्नाटक की उच्च अदालत में याचियायें दायर कीं, जिन पर अदालत ने 10 फरवरी से 14 मार्च के बीच सुनवाई की। अदालत ने 14 मार्च को दिये अपने फ़ैसले में सरकार के 5 फरवरी के आदेश को बरकरार रखा, जिस आदेश के तहत स्कूलों और कॉलेजों के परिसर में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था।

स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर संस्थागत प्रतिबंध लगाना, उनके ज़मीर के अधिकार पर सीधा हमला है। यह प्रतिबंध मुस्लिम समुदाय की महिलाओं द्वारा अपने रीति–रिवाज़ों को मानने और अपनी परंपराओं के अनुसार कपड़े पहनने के उनके अधिकार पर हमला है।

हिन्दोस्तानी समाज में विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले, विभिन्न राष्ट्रों और राष्ट्रीयताओं से संबंध रखने वाले, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले तथा विविध संस्कृतियों, रीति–रिवाज़ों और परंपराओं को मानने वाले, भोजन और पोशाक की बहुत विस्तृत विविधता वाले, लोग शामिल हैं। लोगों को अपनी पसंद की पोशाक पहनने का पूरा अधिकार है। यह कहना बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है कि इससे "समानता, समग्रता और सार्वजनिक व्यवस्था" को ख़तरा है। इसे समाज के लिए "ख़तरा" घोषित करना पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि इससे लोगों के किसी भी अन्य तबके के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ता।

छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूलों और कॉलेजों में जाने से रोकना, उनके शिक्षा के अधिकार पर हमला है। हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों पर राज्य द्वारा हमला, एक और प्रचार को बढ़ावा देता है कि मुस्लिम समुदाय अपनी बेटियों को शिक्षित करने से ज्यादा हिजाब को प्राथमिकता दे रहा है। इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा नियंत्रित मीडिया और शासक वर्ग के आधिकारिक प्रवक्ताओं द्वारा, यह निराधार प्रचार किया जा रहा है। न तो जो लड़कियां हिजाब पहनना चाहती हैं, और न ही उनके परिवारों को हिजाब पहनने की उनकी इच्छा और शिक्षित होने की उनकी इच्छा के बीच कोई विरोधाभास दिखाई देता है। स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले प्राधिकरण का फरमान ही, लड़कियों और उनके परिवारों को शिक्षा छोड़ने के लिए मजबूर करने का दोषी है। प्राधिकरण के फरमान के अनुसार, यदि वे हिजाब पहनने के अपने अधिकार का पालन करना चाहती हैं तो वे शिक्षा छोड़ दें या यदि वे शिक्षा चाहती हैं तो ज़मीर का अधिकार त्याग दें।

हिजाब के विवाद के ज़रिये, समाज को समग्र रूप से विभाजित करना और विशेष रूप से युवा छात्रों को धर्म और संस्कृति के आधार पर बांटना, साथ ही साथ उन्हें अपनी समस्याओं के वास्तविक स्रोत से भटकाने के लिए, शासक वर्ग और राज्य द्वारा यह सचेत तथा जानबूझकर किया गया एक और प्रयास है।

देशभर में नौजवान अच्छी गुणवत्ता वाली सस्ती स्कूली और विश्वविद्यालयी शिक्षा, नौकरी और आजीविका की सुरक्षा की मांग को लेकर भारी संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं। मज़दूर और किसान आजीविका के अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। सभी वस्तुओं और सेवाओं की क़ीमतों में भारी वृद्धि के कारण लोग त्रस्त हैं। शासक वर्ग हमेशा की तरह हमारी एकता को तोड़ने और हमारी समस्याओं के वास्तविक स्रोत से हमें भटकाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हिजाब के विवाद को हवा देना और इस आग को सुलगाये रखना ऐसी ही एक और कोशिश है। सबसे बड़े इजारेदार कारपोरेट घरानों का शासन, हमारी समस्याओं का स्रोत है, जिस शासन को उनकी किसी न किसी भरोसेमंद राजनीतिक पार्टी की सरकार के माध्यम से लागू किया जाता है।

हिजाब को विवाद का मसला बनाने और शैक्षणिक संस्थानों में राज्य द्वारा हिजाब पर प्रतिबंध लगाये जाने की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/21935

शहीदों का पैगाम

पृष्ठ 1 का शेष

जताई। साम्राज्यवादी लूट की तुलना में सामाजिक क्रांति के अधिक विरोधी होने के कारण, उपनिवेशवादी व्यवस्था के ये लाभार्थी उपनिवेशवादी राज्य के भीतर अपने प्रतिनिधियों को समायोजित करने के तरीक़े और साधन तैयार कर रहे थे। साथ ही, उन्होंने देशभक्तों और क्रांतिकारियों पर हमला करने में उपनिवेशवादियों के साथ सहयोग किया, इस हद तक कि उन्हें फांसी पर भेजने में भी वे शामिल थे। इसका एक उदाहरण मार्च 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता एम.के. गांधी द्वारा किया गया सौदा है। जिसमें शमिल था 26 मार्च, 1931 को शुरू होनेवाला इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची अधिवेशन से पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने का एक गुप्त समझौता।

उपनिवेशवाद–विरोधी आंदोलन के भीतर, साम्राज्यवाद से बिना समझौते के विरोध करने की लाइन और साम्राज्यवादी व्यवस्था के भीतर समायोजन की मांग की लाइन के बीच संघर्ष तीस और चालीस के दशक में जारी रहा।

1947 में बर्तानवी उपनिवेशवादियों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ अलग–अलग बातचीत करने के बाद, सांप्रदायिक आधार पर हिन्दोस्तान के विभाजन को अंजाम दिया और सत्ता को अपने द्वारा तैयार किए गए वर्गों के हाथों में स्थानांतरित कर दिया। संप्रभुता को इंग्लैंड से हिन्दोस्तान और पाकिस्तान के दो शासक गुटों के हाथों में स्थानांतरित कर दिया गया। हिन्दोस्तान के बड़े पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों के लिए यह एक जीत थी, क्योंकि सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का उनका उद्देश्य साकार हो गया था। सत्ता के हस्तांतरण ने उपनिवेशवादियों के बाद, उपनिवेशवादी संस्थानों, उत्पीड़न और लूट की व्यवस्था को संरक्षित रखा।

यह हमारे देश की मेहनतकश जनता के साथ एक बड़ा धोखा था। उपनिवेशवादी विरासत से साफ और पूर्ण रूप से रिश्ता तोड़ने के उद्देश्य को मिट्टी में मिला दिया गया।

हिन्दोस्तान का पूंजीपति वर्ग और उसकी राजनीतिक पार्टियां दावा करती हैं कि जिस उद्देश्य के लिए क्रांतिकारियों और सच्चे देशभक्तों ने लड़ाई लड़ी थी, वह 1947 में हासिल कर लिया गया था। जिन्होंने बर्तानवी शासन के ख़िलाफ़ देशभक्तों और क्रांतिकारियों के निरंतर विद्रोह को कुचलने में उपनिवेशवादियों की मदद की थी, जिन्होंने हजारों क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दिलाने में अंग्रेजों के साथ सहयोग किया था, वे मज़दूर वर्ग, किसानों, महिलाओं और नौजवानों को इस संघर्ष के असली उद्देश्य को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं।

सभी क्रांतिकारियों ने घोषणा की थी कि "हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक मुट्ठीभर लोग, देशी या विदेशी या दोनों मिलकर, हमारे लोगों के श्रम और संसाधनों का शोषण करते रहेंगे। हमें इस रास्ते से कोई नहीं हटा सकता।"

हिन्दोस्तान का पूंजीपति वर्ग और उसकी राजनीतिक पार्टियां दावा करती हैं कि जिस उद्देश्य के लिए क्रांतिकारियों और सच्चे देशभक्तों ने लड़ाई लड़ी थी, वह 1947 में हासिल कर लिया गया था। जिन्होंने बर्तानवी शासन के ख़िलाफ़ देशभक्तों और क्रांतिकारियों के निरंतर विद्रोह को कुचलने में उपनिवेशवादियों की मदद की थी, जिन्होंने हजारों क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दिलाने में अंग्रेजों के साथ सहयोग किया था, वे मज़दूर वर्ग, किसानों, महिलाओं और नौजवानों को इस संघर्ष के असली उद्देश्य को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं।

उपनिवेशवादी शासन का अंत होने के 75 साल बाद भी हमारे लोगों के श्रम और संसाधनों का शोषण और लूट अभी भी देशी और विदेशी पूंजीपतियों द्वारा की जा रही है। उपनिवेशवादी सत्ता की जगह पूंजीपति वर्ग की सत्ता ने ले लिया है, जो अमरीका और अन्य साम्राज्यवादियों के सहयोग से मेहनतकश बहुसंख्यकों का बेरहमी से शोषण कर रहा है, ताकि खुद को सबसे तेज़ गति से समृद्ध बना सके और अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ ऊंचे स्थान पर बैठ सके।

हिन्दोस्तानी समाज गहरे सामाजिक परिवर्तन के लिए तरस रहा है। शोषक और दमनकारी पूंजीवादी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की जगह एक ऐसी नई व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसमें मज़दूर वर्ग उत्पादन के प्रमुख साधनों को पूंजीपति वर्ग के हाथों से ले लेगा और उन्हें सामाजिक नियंत्रण में रखेगा। पूंजीपति वर्ग की सत्ता की जगह पर मेहनतकश किसानों के साथ गठबंधन में मज़दूर वर्ग की सत्ता स्थापित करनी होगी। तभी अर्थव्यवस्था की दिशा को सभी लोगों की समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करने की ओर उन्मुख किया जा सकता है। संप्रभुता लोगों में निहित हो, यह सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था को बदलना होगा।

हिन्दोस्तानी समाज के क्रांतिकारी परिवर्तन के लिये संघर्ष को आगे बढ़ाएं!

http://hindi.cgpi.org/21933

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्कैन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com

शहीदी दिवस के अवसर पर जनसभायें और विचार गोष्ठियां

23 मार्च, शहीदी दिवस के अवसर पर, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देते हुये और क्रांतिकारियों के दिखाये गये रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हुये, देश में जगह–जगह पर जनसभायें और विचार गोष्ठियां आयोजित की गईं।

दिल्ली

कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दक्षिण दिल्ली के ओखला इलाके में एक उत्साहपूर्ण जनसभा आयोजित की। मंच पर पार्टी के झंडे के साथ शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की तस्वीरें लगाई गई थीं।

एक नौजवान साथी ने मंच का संचालन किया। सबसे पहले, युवती कार्यकर्ताओं ने एक क्रांतिकारी गीत के ज़रिये यह प्रकट किया कि आज देश के कोने–कोने में लोग जग उठे हैं और इंसाफ की लड़ाई में आगे आ रहे हैं। संचालनकर्ता साथी ने आज के संदर्भ में शहीद भगत सिंह व उनके साथियों के संघर्ष को समझने के महत्व के बारे में बताया।

कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी तथा मज़दूर एकता कमेटी के प्रतिनिधियों ने अपने विचार दिये। अनेक नौजवान लड़कियों और लड़कों ने बारी–बारी से आकर अपने विचार रखे।

वक्ताओं ने याद दिलाया कि शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने यह ऐलान किया था कि "हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक मुट्ठीभर लोग, देशी या विदेशी या दोनों मिलकर, हमारे लोगों के श्रम और संसाधनों का शोषण करते रहेंगे।" अंग्रेजों के शासन के खत्म हुये 75 वर्ष बीत गये हैं परन्तु आज भी देशी और विदेशी पूंजीपति हमारे लोगों के श्रम और संसाधनों का शोषण और लूट निरंतर करते जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हमारे शहीदों के अपूर्ण सपनों को पूरा किया जाये। पूंजीपतियों की हुकूमत की जगह पर हमें मज़दूरों और किसानों का राज स्थापित करना होगा। ऐसा करके ही हम खुद समाज के लिये सभी फैसले लेने में सक्षम होंगे और सबको सुख और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिला सकेंगे।

जोशीले नारों और नौजवानों के गीतों के साथ सभा का समापन हुआ।

दक्षिण दिल्ली के संगम विहार रिहायशी क्षेत्र में कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के नौजवान साथियों ने शहीदी दिवस के अवसर पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की। बड़ी संख्या में नौजवानों ने इसमें भाग लिया।

एक विस्तृत और सूचनादायक विडियो–फिल्म प्रस्तुत की गई। फिल्म में यह स्पष्ट दिखाया गया कि भगत सिंह और उनके साथियों ने एक ऐसे नये हिन्दोस्तान के लक्ष्य के साथ अपनी जान की कुर्बानी दी थी, जिसमें मुट्ठीभर शोषक हमारे मज़दूरों और किसानों का शोषण न कर सकें और जिसमें हर देशवासी खुद को देश का मालिक मान सके। 1947 में अंग्रेजों का राज खत्म हुआ परन्तु आज भी मुट्ठीभर बड़े–बड़े इजारेदार पूंजीवादी घराने ही देश के सारे फ़ैसले लेते हैं।

हमें यह कहकर बुद्धू बनाया जाता है कि अगर वोट डालकर हम अपनी पसंद की पार्टी की सरकार को लाते हैं तो हमारी सारी समस्यायें हल हो जायेंगी। परन्तु हमारा अनुभव यह दिखाता है कि सरकार चलाने वाली पार्टी को बदलने से हमारा शोषण–दमन ख़त्म नहीं होता है। बड़े–बड़े इजारेदार पूंजीवादी घरानों का पहले से ही तय किया हुआ अजेंडा लागू होता है और इसे सबसे बेहतर तरीक़े से लागू करने वाली पार्टी की ही सरकार बनाई जाती है।

वह शोषण मुक्त हिन्दोस्तान, जिसमें सबको सुख–सुरक्षा की गारंटी होगी और जिसमें मज़दूर और किसान खुद समाज के हित में अजेंडा तय करेंगे – जो भगत सिंह और उनके साथियों का सपना था – उसे साकार करने के लिये, आज नौजवानों को संघर्ष में आगे आना होगा। यही प्रस्तुति का मुख्य संदेश था।

विडियो फिल्म की प्रस्तुति के बाद कई नौजवानों ने बड़ी भावुकता के साथ बात रखी। सभी की बातों से यह स्पष्ट हुआ कि अगर 1947 में अंग्रेजों की हुकूमत के ख़त्म होने के साथ–साथ वे क्रांतिकारी तब्दीलियां भी कामयाब हुई होतीं, जिनका भगत सिंह और उनके साथियों ने प्रचार किया था, तो आज हमें इतने सारे दुख–दर्द और मुसीबतों का सामना न करना पड़ता।

काफी देर तक चलते रहे विचार–विमर्श के बाद, सभी नौजवान साथियों ने यह संकल्प लिया कि हमें मुट्ठीभर इजारेदार पूंजीपतियों की वर्तमान हुकूमत की जगह पर मज़दूर–किसान की हुकूमत बनाने के लिये संघर्ष करना होगा।

रामगढ़, राजस्थान

जिला हनुमानगढ़ की उप–तहसील रामगढ़ में शहीदी दिवस के अवसर पर, भगत सिंह चौक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। 'भगत सिंह के सपनों का भारत और आज के हालात' – इस विषय पर लोक राज संगठन ने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया।

गोष्ठी को संबोधित करते हुये लोक राज संगठन के सर्व हिन्द उपाध्यक्ष हनुमान प्रसाद शर्मा ने इस बात पर बल दिया कि भगत सिंह को समझने के लिए, नौजवानों को गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। उन्होंने भगत सिंह द्वारा लाहौर जेल में लिखी गई डायरी से पढ़कर, यह समझाया कि भगत सिंह ने किस प्रकार के समाज का सपना देखा था। वे क्रांति के ज़रिये सभी शोषकों – चाहे विदेशी या देशी – के राज को ख़त्म करके, एक ऐसा नया समाज स्थापित करना चाहते थे जिसमें सबको अपने अधिकार मिलें और कोई शोषण–दमन न हो।

अन्य वक्ताओं ने भी इन विचारों की व्याख्या की। जिनमें शामिल थे – अशोक वर्मा, ओम सांगर, मनीराम लकेसर, कृष्ण नोखवाल, अजय धांगड़, राममूर्ति स्वामी, कन्हैया लाल जैन, आदि।

छात्रों और नौजवानों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। देर रात तक कार्यक्रम चलता रहा।

गोहाना, हरियाणा

शहीदी दिवस के अवसर पर गोहाना के शहीद भगतसिंह पार्क में एक जोशपूर्ण जनसभा ओयाजित की गई। इस जनसभा का आयोजन जनसंघर्ष मंच हरियाणा, जन चेतना मंच, समतामूलक महिला संगठन और निर्माणकार्य मज़दूर मिस्त्री यूनियन द्वारा सयुक्त रूप से किया गया था। कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल इस सभा में शामिल हुआ। सैकड़ों नौजवान लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। कई स्कूलों से आये हुये विद्यार्थी भी शामिल हुये।

सभा स्थल को 'इंक़लाब ज़िंदाबाद!', 'समाजवादी क्रांति ज़िंदाबाद!', 'शहीद भगत सिंह अमर रहे!' आदि नारों से सजाया गया था।

आयोजक संगठनों के नेताओं सहित कई अन्य संगठनों के नेता तथा गणमान्य व्यक्ति मंच पर मौजूद थे। इनमें शामिल थे – जन संघर्ष मंच से डा. सी.डी. शर्मा, कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी से बिरजू नायक, समतामूलक महिला संगठन से डा. सुनीता त्यागी और भगवान दास, भले राम, रिटायर्ड प्रधानाध्यापक मेहर सिंह, प्रधानाध्यापक भगवान दत्त, आदि।

सभा के मुख्य वक्ता डा. सी.डी. शर्मा थे। कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की तरफ से का. बिरजू नायक ने सभा को संबोधित किया। इनके अलावा मंच पर उपस्थित अन्य साथियों ने भी बात रखी।

वक्ताओं ने इस विषय पर ज़ोर दिया कि आज़ादी के संघर्ष के दौरान, दो रास्तों के बीच में आपसी टक्कर थी। एक था क्रांतिकारियों का रास्ता, यानी ब्रिटिश हुकूमत से पूरी तरह नाता तोड़ने का रास्ता। क्रांतिकारियों का लक्ष्य था अंग्रेजों के राज को उखाड़ फेंक कर, मज़दूर–किसान का राज स्थापित करना। दूसरा था हिन्दोस्तान के पूंजीपतियों और ज़मींदारों का रास्ता, जो अपने हाथ में सत्ता लेना चाहते थे, परन्तु समाज में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन किये बिना। 1947 में सत्ता अंग्रेजों के हाथ से हिन्दोस्तान के सरमायदारों के हाथ में आ गयी। इस सरमायदार वर्ग ने बस्तीवादी विरासत और शोषण दमन की व्यवस्था को क़ायम रखा है. वक्त की मांग है कि सरमायदारों के राज की जगह पर मज़दूरों और किसानों का राज स्थापित किया जाये ताकि उन गहन सामाजिक तब्दीलियों को हासिल किया जाए, जिनके लिए हमारे लोग तरस रहे हैं। सभा का समापन क्रांतिकारी गीतों और 'इंक़लाब ज़िन्दाबाद!' के नारों के साथ किया गया।

कुरूक्षेत्र, हरियाणा

23 मार्च को कुरूक्षेत्र में शहीद–ए–आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का 92वां शहादत दिवस मनाया गया। भगत सिंह दिशा ट्रस्ट, जन संघर्ष मंच हरियाणा, मनरेगा मज़दूर यूनियन व निर्माणकार्य मजदूर मिस्त्री यूनियन ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित किया।

शहीद भगत सिंह दिशा ट्रस्ट से श्री गुरु रविदास धर्मशाला तक एक जोशभरा जुलूस निकाला गया। मेहनतकश जनता की एकता तोड़ने वाली ताक़तों से

सावधान रहने तथा सरकार की मज़दूर–विरोधी नीतियों के विरोध में नारे लगाए गए।

इसके बाद जनसभा हुई, जिसकी अध्यक्षता जन संघर्ष मंच हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष, कामरेड फूल सिंह ने की। मंच संचालन सुरेश कुमार ने किया।

जनसभा के मुख्य वक्ता शहीद भगत सिंह दिशा ट्रस्ट के प्रधान, कामरेड श्यामसुंदर थे। कामरेड फूल सिंह, मज़दूर नेता पाल सिंह, मनरेगा मज़दूर यूनियन के प्रधान नरेश कुमार, निर्माणकार्य मज़दूर मिस्त्री यूनियन के प्रधान करनैल सिंह, जन संघर्ष मंच हरियाणा की महासचिव सुदेश कुमारी ने सभा को संबोधित किया।

सभी वक्ताओं ने बताया कि भगत सिंह ऐसी आज़ादी चाहते थे, जिसमें मानव द्वारा मानव का शोषण न हो। आज हिन्दोस्तानी राज्य पर बड़े–बड़े इजारेदार पूंजीवादी घराने काबिज़ हैं। सत्ता पर बैठी हुई पार्टी के बदल जाने से यह हकीक़त नहीं बदलती है। सभी पार्टियां सरकार में आकर बड़े पूंजीपतियों की सेवा करती हैं पर हमें यह कहकर बुद्धू बनाती हैं कि वे हमारे हित में काम कर रही हैं। सभी पार्टियां जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटती हैं, ताकि हम आपस में लड़ते रहें और अपने सांझे दुश्मन को न पहचानें।

इंक़लाब के ज़रिए मौजूदा शोषणमूलक पूंजीवादी व्यवस्था को बदलकर एक नए समाज का गठन किया जाना चाहिये। इस प्रकार ही मानव द्वारा मानव के शोषण और राष्ट्र द्वारा राष्ट्र के शोषण का अंत हो सकता है। तभी सच्ची समानता आएगी, सच्ची आज़ादी आएगी और पूंजीवादी लुटेरे कमेरे वर्ग का शोषण नहीं कर सकेंगे।

http://hindi.cgpi.org/21941

बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों व इंजीनियरों का सम्मेलन

नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स (एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई.) ने 19 मार्च, 2022 को चण्डीगढ़ में अपना सम्मेलन आयोजित किया। यू.टी. इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर्स यूनियन ने इस सम्मेलन का सह–आयोजन किया। सम्मेलन का उद्देश्य बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों व इंजीनियरों द्वारा 22 से 24 फरवरी, 2022 के बीच चण्डीगढ़ में की गयी जुझारू हड़ताल के अनुभवों की समीक्षा करना और संघर्ष को आगे ले जाना था।

मज़दूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.) के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस सम्मेलन में सहभाग लिया।

सम्मेलन के अध्यक्ष–मंडल में शामिल थे – आल इंडिया फेडरेशन ऑफ पॉवर डिप्लोमा इंजीनियर्स (ए.आई.पी.ई.एफ.) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र दूबे, एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई. के राष्ट्रीय संचालक व इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया (ई.ई.एफ.आई.) के महासचिव, श्री प्रशांत चौधरी, ई.ई.एफ.आई. के उपाध्यक्ष व ऑल इंडिया स्टेट गवर्मेंट एम्प्लाइज़ फेडरेशन के अध्यक्ष, श्री सुभाष लाम्बा, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज़ (ए.आई.एफ.ई.ई.) के महासचिव श्री मोहन शर्मा, ऑल इंडिया पावरमेन फेडरेशन एण्ड मज़दूर कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष, श्री आर.के. शर्मा, एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई., ए.आई.पी.ई.एफ., ए.आई.एफ.ओ.पी.डी.ई. के कार्यकारी सदस्य, श्री अभिमन्यु धनकर तथा बिजली कर्मचारियों व इंजीनियरों के प्रतिनिधि व कई अन्य नेता।

सम्मेलन की कार्यवाही एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई. की ओर से एक प्रस्ताव की प्रस्तुति के साथ शुरू हुई। इस प्रस्ताव में चंडीगढ़ के बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों की 22–24 फरवरी की हड़ताल की सराहना की गई। इसमें पूरे देश में बिजली विभाग की संपत्तियों, प्रतिष्ठानों और नेटवर्क को निजी कंपनियों को सौंपने की सरकार की योजना की निंदा की गई। इसमें हड़ताली मज़दूरों के ख़िलाफ़ पुलिस मामलों को वापस लेने और उन ठेका मज़दूरों की नौकरियों की बहाली का मांग की गई जिन्होंने संघर्ष में जुझारू रूप से भाग लिया था और इसके कारण उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। इसमें विद्युत संशोधन विधेयक–2021 को रद्द करने की मांग की

गई और इसका दृढ़ता से प्रतिरोध करने के लिए किसान आंदोलन की सराहना की गई, जिसके परिणामस्वरूप विधेयक संसद में पारित नहीं किया जा सका। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू–कश्मीर, तमिलनाडु और अन्य राज्यों के बिजली क्षेत्र के मज़दूरों द्वारा निजीकरण के ख़िलाफ़ किए गए संघर्ष की सराहना की गई। इसमें सभी राज्यों में मज़दूरों की एकता को मजबूत करने और निजीकरण के ख़िलाफ़ बिजली क्षेत्र के मज़दूरों के संघर्ष का समर्थन करने का आह्वान किया गया। इसमें 28–29 मार्च को ट्रेड यूनियनों द्वारा की जा रही सर्व हिन्द हड़ताल के समर्थन में व्यापक लामबंदी करने का आह्वान किया गया।

प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके बाद, अध्यक्ष मंडल के प्रत्येक प्रतिनिधि ने सम्मेलन को संबोधित किया। उत्तरी क्षेत्र से एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई. के कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों – पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू–कश्मीर, दिल्ली – ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।

वक्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों में वेतन संशोधन की मांग और 28–29 मार्च को होने वाली सर्व हिन्द हड़ताल के लिए व्यापक रूप से लामबंद करने की आवश्यकता शामिल थी। उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि बिजली का निजीकरण सभी उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा, वास्तव में पूरे समाज को – बढ़ी हुई बिजली दरों, कम जवाबदेही, ख़राब सेवा, देश के दूर–दराज और ग़रीब क्षेत्रों में सेवा की कमी, आदि के रूप में। उन्होंने बिजली क्षेत्र में सरकार की निजीकरण की योजनाओं का पुरजोर विरोध करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने किसान आंदोलन से प्रेरणा ली, जिसने लंबे समय तक अपना आंदोलन दृढ़तापूर्वक चलाया और भारी कठिनाई का सामना किया। उन्होंने उन सभी संगठनों को धन्यवाद दिया जिन्होंने चंडीगढ़ के बिजली मज़दूरों और इंजीनियरों के संघर्ष और पूरे देश में उनके संघर्ष का समर्थन किया है। उन्होंने संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया।

मज़दूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.) के संतोष कुमार, नौजवान किसान एकता की राज कौर गिल, आप पार्षद दमनजीत सिंह और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी बिजली मज़दूरों के संघर्ष के समर्थन में बात की।

एम.ई.सी. के संतोष कुमार ने बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के संघर्ष के लिए तहे दिल से समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने 2001 में मॉडर्न फूड से लेकर वर्तमान समय तक सभी क्षेत्रों में निजीकरण के ख़िलाफ़ एम.ई.सी. के संघर्ष पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हर सरकार ने सबसे बड़े हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीवादी घरानों के हित में सार्वजनिक संपत्तियों और सेवाओं के निजीकरण के एजेंडे को लागू किया है। समाज की समस्याओं का स्रोत पूंजीवादी व्यवस्था और सरमायदारों का शासन है। मज़दूर वर्ग को उत्पादन के प्रमुख साधनों को सरमायदारों के हाथों से लेने और उसे सामाजिक नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। तभी लोगों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में अर्थव्यवस्था को चलाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि समाधान मज़दूर–किसान राज स्थापित करने में है, जिसके तहत हमारे पास निर्णय लेने, क़ानून बनाने, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने या उन्हें वापस बुलाने और सभी के लिए सुख और सुरक्षा सुनिश्चित करने की शक्ति होगी।

संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की 22–24 फरवरी की हड़ताल से सीखे गए अनुभवों और सबक की समीक्षा करने में यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण क़दम था।

http://hindi.cgpi.org/21959

हड़ताल करने पर दिल्ली सरकार ने आंगनवाड़ी मज़दूरों को बर्खास्त किया

दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली सरकार द्वारा पेश किये आंकड़ों के अनुसार, 14 मार्च, 2022 तक 991 आंगनवाड़ी मज़दूरों और सहायिकाओं को बर्खास्त कर दिया गया था। दिल्ली राज्य आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन (डी.एस.ए.डब्ल्यू.एच.यू.) के अनुसार, मज़दूरों को दिये गये नोटिसों में कहा गया है कि "हड़ताल, आंदोलन और धरने का सक्रिय हिस्सा" होने के कारण आपकी सेवाओं को समाप्त किया जा रहा है।

हजारों आंगनवाड़ी मज़दूर और सहायिकाएं अपना मानदेय बढ़ाने और लंबे समय से उठायी जा रही अन्य मांगों को लेकर जनवरी के महीने से दिल्ली सरकार के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रही थीं।

सरकार ने 5 मार्च को हड़ताल के दौरान, कई हजार आंगनवाड़ी मज़दूरों और सहायिकाओं को "कारण बताओ" नोटिस दिया और ड्यूटी पर आने को कहा। जब उन्होंने संघर्ष को जारी रखा तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 9 मार्च से उन्हें बर्ख़ास्त करने का नोटिस जारी करना शुरू कर दिया। सार्वजनिक रूप से हड़ताल में भाग लेने के कारण महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त निदेशक ने आंगनवाड़ी मज़दूरों और सहायिकाओं की सेवाओं को बड़े पैमाने पर समाप्त करने के निर्देश दिये हैं।

10 मार्च को उनकी हड़ताल को अवैध घोषित करते हुए, प्रदर्शनकारी आंगनवाड़ी मज़दूरों पर आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) लगाया गया। आंगनवाड़ी मज़दूरों और सहायिकाओं ने घोषणा की कि काम पर वापस जाने के लिए मजबूर होने के बावजूद, वे अपनी मांगों का संघर्ष जारी रखेंगी। अब उन्हें काम से बर्ख़ास्त करने की धमकी दी जा रही है।

दिल्ली राज्य आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन द्वारा बर्ख़ास्तगी के आदेशों को चुनौती देने और उनकी पुनः नियुक्ती की मांग करने वाली याचिकाओं पर 15 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च अदालत से कहा कि वह हालिया हड़ताल के संबंध में किसी और आंगनवाड़ी मज़दूर या सहायिका की बर्ख़ास्तगी को अस्थायी रूप से रोक देगी। अदालत ने अभी तक अपना अंतिम फ़ैसला नहीं सुनाया है।

दिल्ली राज्य आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने बताया है कि इसके तुरंत बाद, आंगनवाड़ी मज़दूरों और सहायिकाओं पर दबाव डाला जा रहा है कि वे एक माफ़ी पत्र पर हस्ताक्षर करें और लिखित आश्वासन दें कि वे भविष्य में हड़ताल नहीं करेंगी।

पिछले कई वर्षों के लंबे और लगातार संघर्ष के बावजूद आंगनवाड़ी मज़दूरों और सहायिकाओं का जबरदस्त शोषण और उत्पीड़न जारी है। उन्हें सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। आधिकारिक तौर पर घोषित किये गये न्यूनतम वेतन से काफी कम मानदेय पर उनसे काम करवाया जाता है। उनके लिये काम के कोई निश्चित घंटे नहीं होते हैं, उन्हें कोई सवैतनिक अवकाश या किसी प्रकार का सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलता है। देशभर में आंगनवाड़ी मज़दूर इस मुश्किल स्थिति का सामना कर रहे हैं। देशभर में ये मज़दूर अपने हक़ के लिए जुझारू लड़ाई लड़ रहे हैं।

दिल्ली की आंगनवाड़ी मज़दूरों और सहायिकाओं का संघर्ष पूरी तरह से जायज़ है। अपनी जायज़ मांगों के लिये हड़ताल करने वाली आंगनवाड़ी मज़दूरों के अधिकार पर दिल्ली सरकार के बर्बर हमले की कड़ी निंदा की जानी चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/21951

कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का प्रकाशन

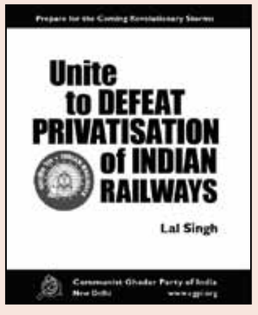

यह पुस्तिका कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह द्वारा 13 मई, 2018 को दिल्ली में पार्टी की एक सभा में प्रस्तुत की गई थी।

राजस्थान के नोहर में किसानों ने संघर्ष में जीत हासिल की

राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील के तहत आने वाले कई गांवों के किसानों ने सिंचाई के पानी के लिये अपने संघर्ष में जीत हासिल की है। किसानों ने रबी की फ़सल की सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी की मांग को लेकर इस संघर्ष को फरवरी से मार्च के दौरान चलाया।

दरअसल, सिंचाई विभाग द्वारा नहरों के रेगुलेशन में गड़बड़ी करने की वजह से किसानों की रबी की फ़सल बर्बाद हो रही थी। नहर में पूरे पानी की मांग करते हुये, किसानों ने सबसे पहले 21 फरवरी को भादरा के उपखंड अधिकारी के समक्ष विशाल प्रदर्शन किया और सिंचाई के पानी के रेगूलेशन को ठीक करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 23 फरवरी तक रेगुलेशन सही करके नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया तो नोहर भादरा की अमरसिंह ब्रांच के किसान दिल्ली–श्रीगंगानगर मेगा हाईवे पर चक्का जाम करेंगे।

जब प्रशासन द्वारा किसानों की मांग पर गौर नहीं किया गया तो उन्होंने 23 फरवरी से दिल्ली–श्रीगंगानगर मेगा हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। चार दिन तक चले इस चक्का जाम के बाद, सिंचाई विभाग और प्रशासन किसानों की मांगों को मानने के लिए बाध्य हुए।

इस चक्का जाम को करने के कारण प्रशासन की ओर से करीब ढाई सौ किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमों को रद्द करवाने के लिये किसानों को एक बार फिर से संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने 28 फरवरी को गोगामेड़ी पुलिस स्टेशन का घेराव किया।

इस पूरे संघर्ष के फलस्वरूप अमरसिंह ब्रांच में पानी आने लगा जिससे किसानों की गेहूं और सरसों की फ़सल

बर्बाद होने से बच गई। यह किसानों के आंदोलन की भारी जीत है।

यह आंदोलन लोक राज संगठन के साथियों कामरेड ओमसहू पूर्व सरपंच उजलवास, मनीराम लकेसर, कृष्ण नोखवाल, ओम सांगर सहित विक्रम सिंह राठौड़ पूर्व सरपंच गोगामेडी, मांगेराम बेरड, राजेंद्र नेमीवाल सरपंच नेठराना,

सुमेर सिंह, जुगलाल खाती, मदन बेनीवाल, सेवानिवृत्त जिला कलेक्टर एस.पी. सिंह, लोक राज संगठन के सर्व हिन्द उपाध्यक्ष हनुमान प्रसाद शर्मा, पुरोगामी महिला संगठन की सावित्री शर्मा, अजय स्वामी, कृष्णा भांभू, देवेंद्र भांभू, आदि की अगुवाई में किया गया।

आंदोलन की सफलता के बाद समीक्षा बैठक की गई। इसमें तय किया गया कि किसानों की एकता बनाए रखने के लिए हर महीने बैठक की जायेगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 'बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति' के आंदोलन को डटकर समर्थन दिया जायेगा।

इसके साथ–साथ प्रधानमंत्री बीमा योजना, बिजली आदि समस्याओं को लेकर उनका संघर्ष जारी है। वे अन्य प्रशासनिक मांगों को लेकर भी संघर्ष को जारी रखे हुये हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजन के तहत होने वाले भुगतान में देरी के विरोध में रामगढ़ उपतहसील पर किसानों ने धरना दिया। किसानों को सन 2020 व 2021–22 की रबी फ़सल का बीमा नहीं मिला है।

'बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति' द्वारा किये जा रहे प्रदर्शन में लोक राज संगठन के सर्व हिन्द उपाध्यक्ष, सहित अनेक किसानों ने हिस्सा लिया।

तहसील दूर होने के कारण, इस इलाके के किसानों को अनेक प्रशासनिक समस्याओं को हल करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिये उनकी मांग है कि नोहर को जिला घोषित किया जाये और रामगढ़ उपतहसील को क्रमोन्नत करके तहसील बनाया जाये।

http://hindi.cgpi.org/21927

कनाडा के रेल मज़दूरों का संघर्ष

कैनेडियन पैसिफिक रेलवे (सीपी) के 3,000 से अधिक रेल मज़दूर वेतन, पेंशन व अन्य सुविधाओं तथा काम के नियमों पर कंपनी के साथ एक नया समझौता करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रेल मज़दूरों में शामिल हैं, लोकोमोटिव इंजीनियर, कंडक्टर, ट्रेन और यार्ड कर्मचारी। मज़दूरों के अनुसार, उनकी यूनियन द्वारा टीमस्टर्स कनाडा रेल कॉन्फरेंस (टी.सी.आर.सी.) और रेल कंपनी के बीच किया गया पहले वाला समझौता 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त हो गया था। मज़दूरों की मांगों को ध्यान में रखते हुए, मज़दूर यूनियन के साथ एक नया समझौता करने से कंपनी ने इनकार कर दिया है। टी.सी.आर.सी. यूनियन ने फरवरी में हड़ताल पर जाने के लिए ऑनलाइन वोटिंग करवाई थी। उनकी मांगों को पूरा न किये जाने की स्थिति में हड़ताल पर जाने के पक्ष में 96.7 प्रतिशत मज़दूरों ने वोट दिये हैं।

कनाडा में रेल सेवाएं निजी–मालिकी में हैं और कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, कनाडा की दूसरी सबसे बड़ी रेल सेवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कोयले, खाद्यान्नों और कारों सहित अनेक वस्तुओं तथा तैयार–माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने में रेल सेवा एक प्रमुख भूमिका निभाती है। कनाडा पोटाश के उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, पोटास उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक प्रमुख ज़रूरी वस्तु है। पोटाश उत्पादन में कनाडा के बाद रूस और बेलारूस का नंबर आता है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे का नेटवर्क न केवल दक्षिणी कनाडा में फैला है बल्कि उसकी पहुंच अमरीका में कैन्सस सिटी तक है।

रेल मज़दूरों द्वारा हड़ताल के पक्ष में वोट दिये जाने के तुरंत बाद, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे ने एक बड़ा प्रचार अभियान शुरू कर दिया है जिसमें रेल मज़दूरों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये रेल मजदूर हड़ताल करके अर्थव्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने की योजना बना रहे हैं। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे प्रबंधन और साथ ही सरमायदारों के विभिन्न संगठनों ने सरकार से मांग करना शुरू कर दिया है कि सरकार रेलवे को "आवश्यक सेवा" घोषित करे और रेल मज़दूरों की हड़ताल को अवैध घोषित करे।

16 मार्च को कैनेडियन पैसिफिक ने मज़दूर यूनियन को तालाबंदी का नोटिस दिया। 19–20 मार्च की मध्यरात्रि को तालाबंदी लागू कर दी गई। दो दिनों तक रेलवे बंद रहने के बाद कनाडा की सरकार ने घोषणा की कि कैनेडियन पैसिफिक रेलवे और मज़दूरों के बीच के विवाद को मध्यस्थता से सुलझाया जाएगा। अर्थात, कंपनी का प्रबंधन और यूनियन, अपनी मांगों को एक तथाकथित "स्वतंत्र" मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मानना होगा। कनाडा के श्रम मंत्री जिन्होंने वार्ता में मध्यस्थता की, सीमस ओरेगन जूनियर ने कहा कि मध्यस्थता अवधि के दौरान कैनेडियन पैसिफिक रेलवे में सामान्यतः काम जारी रहेगा।

यह देखा जा सकता है कि मज़दूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए किये जा रहे जायज़ संघर्ष को कुचलने के लिए, एक पूरी व्यवस्था स्थापित की गई है। यदि मज़दूर हड़ताल करने की जुर्रत करते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने वालों के रूप में पेश किया जाता है, और उनके संघर्ष को एक अपराध की तरह पेश किया जाता है। दूसरी ओर, जब पूंजीपति मज़दूरों के अधिकारों पर हमला करते हैं और तालाबंदी करते हैं तो इसे ठीक माना जाता है। एक "स्वतंत्र मध्यस्थ" द्वारा मध्यस्थता, पूंजीपति वर्ग की एक पुरानी चाल है। आमतौर पर, "स्वतंत्र मध्यस्थ" सरकार का ही कोई प्रतिनिधि होता है। सरकार स्वयं पूंजीवादी इजारेदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। इस स्थिति में मध्यस्थता, मज़दूरों को उनकी मांगों के लिए हड़ताल पर जाने से रोकने के साथ–साथ उन पर अस्वीकार्य शर्तें थोपने का एक साधन है।

कैनेडियन पैसिफिक के रेल मज़दूरों ने जिन मुद्दों को उठाया है, उनमें से एक यह भी है कि कंपनी को पहले वाली पेंशन योजना को लागू रखना चाहिए, जिसके अनुसार मज़दूरों को निश्चित परिभाषित लाभ मिलते थे।

रेल मज़दूर, काम करने के बेहतर हालतों की मांग कर रहे हैं। 2012 और 2016 के बीच, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे ने 4,500 नौकरियों को समाप्त कर दिया – कंपनी की कुल कार्य क्षमता का 23 प्रतिशत – और अपनी रेलगाड़ियों की लंबाई और गति में वृद्धि कर दी है। इसका मतलब है कि कम ट्रेनों में छोटे चालक–दलों को भारी लोड के साथ और भी तेज़ गति से रेलगाड़ियां चलानी पड़ रही हैं। मज़दूरों का कहना है कि यह एक ख़तरनाक स्थिति है जो ज्यादा समय तक क़ायम नहीं रखी जा सकती है।

मज़दूरों की थकान दूर करने के लिए सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे के मज़दूर 2015 और 2018 में हड़ताल पर गए थे। लेकिन उनके काम करने की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। मज़दूर, अपने घरों से 50–70 घंटे दूर रहने को मजबूर हैं। काम करने की इन कठिन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप, मज़दूरों को थकावट, चोट, मानसिक बीमारियां और अन्य गंभीर समस्यायों का सामना करना पड़ रहा है।

मज़दूरों की चिंताओं को दूर करने के बजाय, कनाडा की राज्य–सत्ता मज़दूरों के संघर्षों को एक अपराध की तरह पेश करने की कोशिश कर रही है। निजी इजारेदारों को मज़दूरों के शोषण को तेज़ करके अपने मुनाफ़े को अधिकतम बनाने की खुली छूट दी जा रही है।

http://hindi.cgpi.org/21947

मज़दूर एकता लहर

(इंटरनेट संस्करण)

हिन्दी : http://www.hindi.cgpi.org,
अंग्रेजी : http://www.cgpi.org
पंजाबी : http://www.punjabi.cgpi.org
तामिल : http://www.tamil.cgpi.org
ई मेल : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com
Ph.09868811998, 09810167911

1. समाचार पत्र का नाम – मज़दूर एकता लहर
2. समाचार पत्र की पंजीकरण संख्या – 45893/86
3. भाषा/भाषाएं, जिसमें/समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है – हिन्दी
4. इसके प्रकाशक का नियतकाल तथा जिस दिन/दिनों/तिथियों को यह प्रकाशित होता है – हर महीने की 1 व 16 तारीख
5. समाचार पत्र की फुटकर कीमत – 5.00 रुपया
6. प्रकाशक/मुद्रक का नाम – लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से मधूसूदन कस्तूरी, राष्ट्रीयता – भारतीय, पता – ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेज–2, नई दिल्ली 110020
7. संपादक का नाम – मधुसूदन कस्तूरी राष्ट्रीयता – भारतीय, पता – ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेज–2, नई दिल्ली 110020
8. जिस स्थान पर मुद्रण का काम होता है तथा ठीक विवरण – शुभम इंटरप्राईजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065, प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 21ए, झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र, शहादरा, दिल्ली से मुद्रित।
9. प्रकाशन का स्थान – ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेज–2, नई दिल्ली 110020

मज़दूर एकता लहर
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट मज़दूर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अखबार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23
Posting Date at DLPSO, 1 & 2 April, 2022 Date of publish - 1 April, 2022

To .....
.....
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक–मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

एल.एन.जे.पी. अस्पताल ने कोविड सुविधा केन्द्र की नर्सों को बर्खास्तगी का नोटिस दिया

लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल (एल.एन.जे.पी./एल.एन.एच.) से संबद्ध कोविड केंद्र में कार्यरत करीब 100 नर्सों के लिये 3 मार्च को नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि उनकी सेवाएं 31 मार्च को समाप्त कर दी जाएंगी। मार्च की शुरुआत से ही नर्सें एल.एन.जे.पी. अस्पताल के गेट के सामने धरने पर बैठे हैं तथा मांग कर रहे हैं कि उनकी नौकरी फिर से बहाल की जाये।

विरोध कर रहे नर्सों के मुताबिक, दिल्ली के एल.एन.जे.पी. अस्पताल के 500 बेड वाले कोविड केंद्र के लिये 14 मई, 2021 को 250 नर्सों को काम पर रखा गया था। यह केंद्र कोविड की दूसरी लहर के दौरान शुरू किया गया था तथा रामलीला मैदान में स्थित था। नर्सों को अप्रैल 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक विज्ञापन के आधार पर काम पर रखा गया था। उन्हें तीन–तीन महीने के अनुबंध पर नियुक्त किया गया था, जिस अनुबंध का नवीकरण हर 3 महीने बाद किया जाना था। उनसे वादा किया गया था कि उन्हें अस्पताल की नियमित सेवाओं में शामिल किया जाएगा।

मई 2021 के अंत तक, उनमें से 250 को "समान वेतन, समान आदेश, समान रोल कॉल" के साथ अस्पताल में नर्सिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उनमें से 150 को अस्पताल के अंदर ड्यूटी सौंपी गई थी, जबकि शेष 100 को रामलीला मैदान के केंद्र में ड्यूटी सौंपी गई थी। इसके बाद, अक्तूबर 2021 को समान शर्तों पर उसी कोविड सुविधा केंद्र में 50 और नर्सों को काम पर रखा गया था।

इन नर्सों ने कोविड की दूसरी और तीसरी लहर के दौरान सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए कोविड केंद्र में काम किया। उन्होंने कोविड–19 से संबंधित टीकाकरण, उपचार और अन्य सभी सेवाओं का कार्य किया। उनमें से कई कोविड का शिकार हुए, अनेक ने अपने प्रियजनों को खो दिया, लेकिन चिकित्सा और क्वारेंटाइन के लिये बिना किसी अवकाश के उन्होंने काम करना जारी रखा। उन्होंने अस्पताल के अन्य विभागों के साथ पूरे तालमेल के साथ काम किया। अपनी समर्पित सेवा के ज़रिये उन्होंने दूसरी और तीसरी लहर में कोविड केंद्र में शून्य प्रतिशत मृत्यु अनुपात हासिल किया। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अपनी सेवायें देने के लिये कभी–कभी अन्य कोविड केंद्रों पर भी भेजा गया। प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उन्हें "कोविड योद्धा" के रूप में सम्मानित किया गया।

निष्कासन नोटिस में सरसरी तौर पर कहा गया है कि "चूंकि अब कोविड समाप्त हो गया है और इस सुविधा केंद्र को बंद किया जा रहा है ... रामलीला मैदान की टीकाकरण सुविधा के लिये या एल.एन.एच. में नियुक्त सभी नर्सों को निर्देश दिया जाता है कि वे रामलीला मैदान में अपने काम को जारी न रखें"।

कोविड सुविधा केन्द्र में काम पर रखे गए 93 नर्सों को अब तक निष्कासन का नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन बाकी नर्सों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।

नर्सों का धरना जारी है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी सेवाओं को समाप्त किए जाने का विरोध किया है और मांग की है कि उन्हें फिर से बहाल किया जाये। उन्होंने बर्खास्तगी के आदेश को कोर्ट में भी चुनौती दी है।

वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में सभी क्षेत्रों के मज़दूरों को किस तरह की आजीविका की असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है, यह उसका एक और उदाहरण है। जो लोग नौकरी ढूंढने में क़ामयाब हो जाते हैं, उनका जबरदस्त शोषण होता है; उन्हें कम से कम मज़दूरी देकर नींबू की तरह निचोड़ा जाता है और जब पूंजीवादी व्यवस्था को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह जाती है, तब उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है।

सभी वर्गों के मेहनतकश लोगों को एकजुट होकर एक नई व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था के लिए लड़ना होगा, जिसमें उत्पादन के साधन सामाजिक नियंत्रण में होंगे और अर्थव्यवस्था सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार होगी।

http://hindi.cgpi.org/21937

आर.एम.एल. अस्पताल ने संविदा नर्सिंग अधिकारियों को नौकरी से निकाला

नई दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा संचालित राम मनोहर लोहिया (आर.एम.एल.) अस्पताल में अनुबंध पर कार्यरत नर्सिंग अधिकारी अपनी नौकरी खोने के ख़तरे से बहुत गुस्से में हैं। अस्पताल ने घोषणा की है कि नए स्थायी नर्सिंग स्टाफ को काम पर रखा जाएगा और संविदा पर काम करने वाले नर्सिंग अधिकारियों को बर्खास्त किया जा रहा है, इन नर्सों में से कुछ तो एक दशक से भी अधिक से अस्पताल में काम कर रही हैं।

14 फरवरी को नई दिल्ली के आर.एम.एल. अस्पताल के 151 संविदा नर्सिंग अधिकारियों को एक महीने की नोटिस अवधि के साथ बर्खास्तगी पत्र जारी किए गए थे।

संविदा नर्सिंग स्टाफ को आर.एम.एल. अस्पताल का बर्खास्तगी पत्र इस प्रकार लिखा है : "151 संविदा स्टाफ नर्सों के अनुबंध, इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने का नोटिस देकर "पहले आओ आखिरी में जाओ" के आधार पर समाप्त हो जाते हैं, जो नए नर्सिंग अधिकारियों के शामिल होने पर निर्भर करता है।"

इन नर्सिंग अधिकारियों को कई बार में 2009, 2015, 2016 को अनुबंध पर नियुक्त किया गया था। उन्हें नियमित नर्सों के बराबर वेतन नहीं दिया जाता है; इसके बजाय, उन्हें न्यूनतम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह इस तथ्य के बावजूद होता है, जबकि उनका चयन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया गया था।

आंदोलनकारी नर्सों ने बताया है कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में संविदा नर्सिंग अधिकारियों की सेवाओं को अवकाश देकर नियमित कर दिया गया है।

उन्हें हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 'समान काम के लिए समान वेतन' के आधार पर वेतन दिया जा रहा है। उन्हें अन्य सभी सुविधाएं नियमित नर्सिंग अधिकारी के रूप में दी जा रही हैं। लेकिन आर.एम.एल. अस्पताल में संविदा नर्सिंग अधिकारी न्यूनतम मज़दूरी पर काम करने को मजबूर हैं।

और अब अचानक संविदा नर्सिंग अधिकारियों को बर्खास्त किया जा रहा है। वे जबरदस्त मानसिक आघात की स्थिति में हैं, क्योंकि यदि बर्खास्तगी आदेश लागू किया जाता है, तो उन्हें अपने परिवारों का खर्च चलाने, अपने क़र्ज़ों का भुगतान आदि करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत अधिकांश नर्सिंग अधिकारी नए सरकारी सेवा भर्ती के लिए पात्र आयु सीमा से अधिक हो गए हैं।

संविदा नर्सिंग अधिकारियों ने बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सी.ए.टी.) में याचिका दायर की है। उन्होंने पी.एम.ओ. और स्वास्थ्य मंत्रालय को भी पत्र लिखकर बर्खास्तगी के आदेश को वापस लेने और अस्पताल में उनकी सेवाओं को नियमित करने की मांग की है।

न्यायाधिकरण और पी.एम.ओ. तथा स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखे अपने निवेदन पत्र में, अनुबंधित नर्सिंग अधिकारियों ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि कोविड की तीन लहरों के दौरान उन्होंने फ्रंटलाइन योद्धाओं के रूप में काम किया, अत्यंत समर्पण के साथ अपनी सर्वश्रेष्ठ सेवाएं दीं और अपने परिवारों की खुशहाली तथा अपने जीवन को जोखिम में डाला।

उन्होंने अधिकारियों को याद दिलाया है कि उस समय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि जिन संविदा नर्सिंग अधिकारियों ने कोविड–19 की महामारी के दौरान 100 दिन या उससे अधिक की ड्यूटी की है, उन्हें नियमित सेवा के लिए चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। यह घोषणा केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से की गई थी। हालांकि इसका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है।

आर.एम.एल. अस्पताल के संविदा नर्सिंग अधिकारियों का मामला वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था के तहत मज़दूरों के गंभीर शोषण और आजीविका की गंभीर असुरक्षा का एक और उदाहरण है। मज़दूरों के शोषण को बढ़ाने के लिए शासकों द्वारा कोविड–19 के संकट का इस्तेमाल किया गया है। महामारी के दौरान बहुत कठिन और ख़तरनाक परिस्थितियों में लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को उनकी आजीविका पर विशेष रूप से क्रूर हमलों का सामना करना पड़ रहा है।

http://hindi.cgpi.org/21955